न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/46 **दायरा दिनांक : 27.03.2023**

उनवान

1– अब्दुल रउफ आत्मज अब्दुल गफूर, जाति मुसलमान, निवासी झालावाड (मृतक) जरिये कायम मुकामान–
1/1– अब्दुल अकरम पुत्र अब्दुल रउफ, जाति मुसलमान, निवासी झालावाड
1/2– अब्दुल अजीत पुत्र अब्दुल रउफ, जाति मुसलमान, निवासी झालावाड
1/3– आरजू परवीन पुत्री अब्दुल रउफ, जाति मुसलमान, निवासी झालावाड
1/4– अंजुम आरा पुत्र अब्दुल रउफ, जाति मुसलमान, निवासी झालावाड
2– अब्दुल शफीक
3– अब्दुल रईस
4– अब्दुल अनिस
5– अब्दुल नफीस पिसरान अब्दुल रजाक, जाति मुसलमान, निवासी झालावाड
6– शहनाज पुत्री अब्दुल रजाक, जाति मुसलमान, निवासी झालावाड
7– परवीन पुत्री अब्दुल रजाक, जाति मुसलमान, निवासी झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– साबिर हुसैन आत्मज हुसैन शाह, जाति फकीर मुसलमान, निवासी झालावाड
2– जुम्मी बाई बेवा हुसैन शाह, जाति फकीर मुसलमान, निवासी झालावाड (मृतक) जरिये कायम मुकामान –
2/1– अब्दुल वहीद पुत्र हुसैन शाह, जाति फकीर मुसलमान, निवासी झालावाड
2/2– अब्दुल रहीम पुत्र हुसैन शाह, जाति फकीर मुसलमान, निवासी झालावाड
2/3– अब्दुल रजाक पुत्र हुसैन शाह, जाति फकीर मुसलमान, निवासी झालावाड
2/4– अमीन पुत्र हुसैन शाह, जाति फकीर मुसलमान, निवासी झालावाड
2/5– हलीमा पुत्री हुसैन शाह पत्नि ईद मोहम्मद, जाति फकीर मुसलमान, निवासी छबडा, जिला बारां
2/6– हनीफा पुत्री हुसैन शाह पत्नि हबीब, जाति फकीर मुसलमान, निवासी छबडा, जिला बारां
2/7– शक्को पुत्री हुसैन शाह पत्नि नन्ने, जाति फकीर मुसलमान, निवासी बून्दी, जिला बून्दी
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री रविन्द्र खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंटडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 28.10.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या 588/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम फोजलपुरा, पटवार हल्का दुर्गपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड के माल में हस्व जमाबन्दी सम्वत 2071 – 2074 आराजी खसरा नम्बर 177/136 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा प्रतिवादी नं. 1 के खाते दर्ज है तथा खसरा नम्बर 178/136 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा प्रतिवादीगण 2 लगायत 8 के खाते दर्ज है जो धोखा कर खाते बंधायी गयी है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2022 से वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया गया तथा आदेश दिया कि ग्राम फोजलपुरा के खसरा नम्बर 136 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा वर्तमान खसरा नम्बर 177/136, 178/136 पर वादीगणों का कब्जा है। वादीगण द्वारा दावा पेश किया गया है कि खसरा नम्बर 177/136, 178/136 में खातेदार घोषित किया जावे। वादीगणों को खातेदार घोषित किया जाता है। साथ ही नामान्तरकरण संख्या 67 जो गलत तौर से प्रतिवादीगणों के हक में खुला है उसे निरस्त किया जावे तथा नामान्तरकरण संख्या 112 जिसके द्वारा प्रतिवादीगणों को गलत खातेदारी दी गई थी तथा वर्तमान में उनका कब्जा काश्त भी नहीं है निरस्त किया जावे। साथ ही प्रश्नगत आराजी जिसमें वादीगण को खातेदार घोषित किया गया है तरमीम वर्तमान में जो पश्चिम दिशा में हो रही है उसे कब्जे अनुसार दक्षिण दिशा में किया जावे। फर्द डिक्री जारी हो। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय व डिक्री जैर अपील न्याय व संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोडेंट द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में अपनी साक्ष्य का कोई भी मुख्य परीक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया था, ना ही अपने वादपत्र के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाई गई थी, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी साक्ष्य के मनमर्जी रूप से निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है।अधीनस्थ न्यायालय पर प्रतिवादी/रेस्पोडेंट को साक्ष्य व सुनवाई प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने का विधिक दायित्व था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीधे ही आर्बिटेटरी रूप से प्रतिवादी/रेस्पोडेंट का जवाब दावा बंद कर बिना किसी साक्ष्य के बहस सुनने एवं निर्णय व डिक्री पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 14.07.2022 को प्रतिवादी कम–8 सिद्दीका बेगम की मृत्यु हो जाने एवं मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किये जाने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को अबेट किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया था और रेस्पोडेंट वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात भी प्रतिवादी कम 8 सिद्दीका बेगम के कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु कोई भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसके कारण वादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद अबेट हो जाने के कारण

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खारिज किये जाने योग्य था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद खारिज ना कर मनमर्जी रूप से अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 व धारा 151 सी.पी.सी. को दिनांक 16.11.2022 को खारिज कर दिया और फिर जल्दबाजी में व आर्बीटेटरी रूप से कृत्य करते हुए दिनांक 29.11.2022 को ही बिना किसी साक्ष्य के बहस अंतिम सुन निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री जैर अपील मृत व्यक्ति के खिलाफ एवं कानून व प्रक्रिया के विपरीत पारित किया है, जो प्रारंभ से ही अवैधानिक व शून्य होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा अपनी प्रतिरक्षा हेतु जवाब दावा भी प्रस्तुत कर दिया गया था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शामिल मिसल करने के बावजूद भी गलत व गैरकानूनी रूप से अपीलांट का जवाब दावा पेश करने का अवसर दिनांक 16.11.2022 को बंद कर तुरन्त प्रभाव से बिना किसी जवाबदेही, तनकीयात व साक्ष्य के निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भली भांति साबित था कि इन्तकाल संख्या 49 से गत खसरा नं. 97 बाद सेटलमेन्ट खसरा नं. 136 व अन्य खसरा नम्बरान कुल 127 बीघा 10 बिस्वा भूमि वन विभाग से राजस्व विभाग के नाम परिवर्तित हुई थी और अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह कही भी साबित नहीं था कि कुल 127 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से रेस्पोडेंट के पति व पिता हुसैन शाह का अपीलांट की भूमि 136/162 की 6 बीघा 5 बिस्वा पर कभी कब्जा काश्त रहा हो, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी साक्ष्य के मनमर्जी रूप से अपीलांट की खातेदारी की भूमि पर वादीगण का कब्जा मानने और अपीलांट के विरुद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा की आलौच्य डिक्री व निर्णय पारित करने में गंभीर त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भली भांति साबित था कि तहसीलदार झालरापाटन द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाबदावा वादीगण के हितों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक तथ्यों को छिपाकर वादी के हितार्थ ही प्रस्तुत किया गया है। जिसका कोई भी कानूनी महत्व नहीं है। उक्त वाद विषयक भूमि खसरा नं. 136 गत खसरा नं. 97 से कायम किया गया है और तहसीलदार झालरापाटन द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियमों के तहत ग्राम फैजलपुरा की उक्त गत खसरा नं. 97 में से 11 बीघा भूमि अपने आवंटन आदेश दिनांक 20.01.1964 से अपीलांट के दादा अब्दुल गफूर पुत्र सलावत खां को आवंटित की गई थी। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त गत खसरा नं. 97 से नवीन खसरा नं. 107, 134, 135, 136 व अन्य खसरा नम्बरान कायम किये गये। अपीलांट के पिता अब्दुल गफूर को किये गये आवंटन अनुसार अपीलांट का कब्जा खसरा नं. 136 की 6 बीघा 5 बिस्वा वाद विषयक भूमि पर था, किन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा त्रुटि पूर्ण रूप से अपीलांट के दादा अब्दुल गफूर की गैरखातेदारी में खसरा नं. 136 की 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि दर्ज ना कर गलत व गैरकानूनी व त्रुटि पूर्ण रूप से खसरा नं. 102, 107, 134, 135 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा भूमि दर्ज कर दी,

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जिस पर तहसीलदार झालरापाटन द्वारा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा की गई उक्त त्रुटि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत दुरूस्त करते हुए आवंटन आदेश व मौके पर कब्जे अनुसार उक्त खसरा नं. 136 की 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि अब्दुल गफूर जी के वारिसान अपीलांट के पिता अब्दुल रउफ व अब्दुल रजाक के खातेदारी में दर्ज की है, इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त भूमि अपीलांट को विधि अनुसार आवंटित भूमि है, जिस पर स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर अपीलांट को कब्जा सुपुर्द किया गया है और स्वयं तहसीलदार द्वारा ही आवंटन व कब्जा अनुसार उक्त खसरा नं. 136 की 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि अपीलांट के खाते विधिक रूप से दर्ज की गई है, जिसके कारण रेस्पोडेंट के पक्ष में अपीलांट की भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री पारित नहीं की जा सकती, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वास्तविक तथ्यों की जांच किये बिना मनमर्जी रूप से अपीलांट का वाद डिक्री करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है।

उक्त भूमि पर प्रारंभ से ही अपीलांट के दादा अब्दुल गफूर उनकी मृत्यु पश्चात उनके वारिसान अब्दुल रजाक व अब्दुल रउफ का कब्जा काश्त रहा है, और उक्त भूमि उनकी गैर खातेदारी में दर्ज रही है और स्वयं राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा उक्त भूमि पर अपीलांट के पिता व दादा का कब्जा काश्त मानते हुए और उक्त भूमि पर आवंटन नियमों की पालना किये जाने से विधि अनुसार उक्त भूमि उनकी खातेदारी में दर्ज की गई और तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, झालावाड द्वारा वाद संख्या 670/88 उनवानी अब्दुल रउफ बनाम अब्दुल रजाक में विभाजन की प्रारंभिक डिक्री पारित की गई है और तत्पश्चात तहसीलदार झालरापाटन द्वारा मौके पर जाकर श्री अब्दुल रजाक व अब्दुल रउफ के मध्य उक्त भूमि खसरा नं. 136 की मौके पर कब्जा अनुसार विभाजन स्कीम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां प्रस्तुत की गई और फिर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त भूमि अपीलांट के पिता की खातेदारी व कब्जे काश्त की होने से विधि अनुसार विभाजन की अंतिम डिक्री भी पारित की गई है। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी की डिक्री अनुसार खसरा नं. 177/136 दक्षिणी तरफ की 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि अपीलांट के पिता अब्दुल रउफ व खसरा नं. 178/136 की उत्तरी तरफ की 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि अपीलांट के पिता अब्दुल रजाक के पृथक खाते दर्ज की गई है, उक्त भूमि की खसरा गिरदावरी में भी अपीलांट का कब्जा काश्त निरंतर प्रमाणित है, जिसके कारण सक्षम न्यायालय के वाद संख्या 670/2003 में पारित निर्णय व डिक्री व खातेदारी अधिकारों के सक्षम न्यायालय व सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को नजर अंदाज कर उक्त भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोडेंट के पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं दी जा सकती है, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की रिकॉर्डेड खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोडेंट के पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है।

उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय को स्वयं के न्यायालय द्वारा पूर्व वाद संख्या 670/2003 में पारित निर्णय व डिक्री को स्वयं ही निरस्त करने व गैर खातेदारी भूमि

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पर स्वयं द्वारा प्रदत्त खातेदारी अधिकारों के निर्णय को स्वयं ही निरस्त करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णय व डिक्री के निरस्त हुए बिना गलत व गैरकानूनी रूप से एवं बिना क्षेत्राधिकारिता के ही निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। उक्त भूमि पर प्रारंभ से अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त भूमि प्लाट के रूप में स्थित ना होकर कृषि भूमि के रूप में स्थित है। उक्त भूमि की खसरा गिरदावरियों से भी उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त व फसल होना प्रमाणित है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी भली भांति साबित था गत खसरा नं. 97 हाल खसरा नं. 136 का रकबा काफी बड़ा है। खसरा नं. 136/162 अपीलांट की खातेदारी की भूमि है। इसके अतिरिक्त खसरा नं. 136/174 श्री हरीशचंद पुत्र धन्नालाल गुर्जर व खसरा नं. 136/160 मनोज पुत्र कैलाशचंद ब्राहमण व खसरा नं. 136/173 वन विभाग पूर्ण संस्था की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है और कही पर भी यह प्रमाणित नहीं है कि वादीगण के पिता हुसैन शाह का खसरा नं. 136 की कौन से भाग पर बतौर अतिक्रमी कब्जा रहा है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी रूप से खसरा नं. 136 के अन्य खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट व रेस्पोडेंट द्वारा ऐसी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई थी, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वाद विषयक भूमि पर हुसैन शाह का व उसके वारिसान वादीगण का कोई निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा हो, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी साक्ष्य के मनमर्जी रूप से अपीलांट की कब्जे काश्त की उक्त भूमि पर वादी/रेस्पोडेंट का कब्जा मानकर निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। कानूनन अतिक्रमण के आधार पर एवं अतिक्रमी के पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई भी विधिक प्रावधान नहीं किये गये हैं, जिसके कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद ही मेन्टेनेबल नहीं था, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के विपरीत जाकर बिना किसी प्रावधान के ही अपीलांट की रिकॉर्डेड खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर रेस्पोडेंट के पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री पारित करने मे गंभीर कानूनी त्रुटि की है। निर्णय व डिक्री जैर अपील बिना किसी साक्ष्य के ज्यूडिशियल माईन्ड एप्लाई किये बिना पूर्णतया आबीटेटरी रूप से पारित किया गया है जो नितान्त ही गैरकानूनी व अविधिक होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 सी.पी.सी. पेश कर निम्न दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड की प्रतियां होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आदेशिका वाद कमांक 670/दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड, नकद वाद पत्र बउनवान अब्दुल रउफ बनाम अब्दुल रज्जाक, नकल जवाबदावा, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 15 नियम 1 सी.पी.सी., नकल प्राथमिक डिक्री, नकल बंटवारा प्रस्ताव, नकल अंतिम डिक्री, नकल इजलास आदेशिका, नकल इजराय प्रार्थना पत्र, नकल इंतकाल संख्या 136 दिनांक 04.06.2010, नकल नामान्तरकरण सं. 49 दिनांक 09.06.1987, नकल इंतकाल सं. 67 दिनांक 25.07.1982, नकल जमाबंदी सम्वत 2038 से 2041, नकल जमाबंदी सम्वत 2034 से 37, नकल जमाबंदी सम्वत 2043–47, नकल जमाबंदी सम्वत 2059 से 62, नकल इंतकाल संख्या 112 दिनांक 05.01.2002, नकल जमाबंदी सम्वत 2055 से 58, नकल जमाबंदी सम्वत 2051 से 54, नकल जमाबंदी सम्वत 2047 से 50, नकल जमाबंदी सम्वत 2071 से 74 व नकल जमाबंदी सम्वत 2063 से 65 की नकले पेश की।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी के साथ राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी के पिता का आराजी पर कब्जा काश्त है। दिनांक 24.09.1977 को वन विभाग की भूमि वादी के पिता को आवंटन हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। एकपक्षीय सेटअसाइड का प्रार्थना पत्र निर्णित नहीं किया गया बल्कि पत्रावली सीधे ही साक्ष्य हेतु नियत कर दी गयी। जवाबदावे को और कायम मुकाम के प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर नहीं लिया गया और सीधे ही निर्णय कर दिया गया जो गलत है। सदिका बेगम प्रतिवादी कम 8 की मृत्यु दौराने वाद हो गयी अतः आदेश 22 के तहत् कायम मुकाम रिकार्ड पर लिये जाने चाहिए थे। मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित निर्णय नल एण्ड वाइड है। अधीनस्थ न्यायालय को देखना चाहिए था कि हुसैन शाह से नियमन शुल्क लिया था, क्या नियमन आदेश जारी हुए थे ? आवंटन में कही भी हुसैन शाह का नाम नही है। प्रस्तुत आवंटन आदेश में कोई मोहर, हस्ताक्षर अंकित नहीं है और ना ही प्रमाणित प्रति है। जबकि अब्दुल गफुर को आंवटन हुआ, गैर खातेदारी दर्ज हुई है तत्पश्चात् कब्जा जांच होकर खातेदारी दर्ज हुई उसके बाद विभाजन का दावा पेश हुआ जो डिक्री हुआ। नामान्तरकरण संख्या 49 दिनांक 15.03.1980 से वन विभाग की जमीन सिवायचक दर्ज हुई थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण अपील स्वीकार कर डिक्री पारित की जाये।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.11.2022 के द्वारा वादी रेस्पो. का वाद स्वीकार

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कर ग्राम फोजलपुरा की विवादित आराजी ख.नं. 177/136, 178/132 के खातेदार प्रतिवादी अपीलांट के खातेदारी अधिकार समाप्त कर वादी रेस्पो. को विवादित आराजी ख.नं. 177/136, 178/132 का खातेदार घोषित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न जवाब दावा दिनांक 29.11.2022 एवं अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पत्रावली दिनांक 14.07.2022 को वास्ते जवाब दावा में नियत थी। इससे पूर्व भी प्रतिवादी अपीलांट को जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समय दिया गया था। दिनांक 14.07.2022 को प्रतिवादी अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 धारा 151 सीपीसी पेश किया तत्पश्चात पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र में दिनांक 17.08.2022, 20.09.2022 व 14.11.2022 नियत की गयी। दिनांक 14.11.2022 को वादी रेस्पोडेंट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 22 धारा 151 सीपीसी पेश किया, साथ ही एक अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 धारा 151 सीपीसी कायम मुकाम रिकार्ड पर लिये जाने बाबत् पेश किया, तत्पश्चात पत्रावली सीधे बहस हेतु दिनांक 16.12.2022 को नियत की गयी। पत्रावली पर प्रतिवादी अपीलांट का जवाब बंद करने बाबत् कोई आदेश प्रदान किया जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 16.11.2022 के अनुसार प्रतिवादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 3 व 4 धारा 151 सीपीसी सुना गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उपशमन हेतु अभिभाषक प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया था, अंकित है परंतु ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नहीं है। सीपीसी में वर्णित आदेश 39 नियम 3 व 4 में अस्थायी व्यादेश से संबंधित प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में आगे लिखा गया है कि आदेश 39 नियम 3 व 4 के अन्तर्गत प्रतिवादी अभिभाषक की इस कंडीशन पर दावा अबेट नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जवाब दावा प्रस्तुत ना कर केवल दावे को लंबित करने के लिए लाया गया है। अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 3 व 4 पत्रावली जवाब दावा प्रतिवादी में लंबित थी (जबकि पत्रावली में यह अंकित है कि पत्रावली दिनांक 16.11.2022 को वास्ते बहस हेतु नियत थी) जिसमें प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः जवाबदावा बंद किया जाता है अंकित है अर्थात् दिनांक 16.11.2022 को पत्रावली बहस में नियत करने के पश्चात् जवाबदावा बंद किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे की सुनवाई के दौरान सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय की इसी आदेशिका दिनांक 16.11.2022 में आगे अंकित है कि प्रतिवादीगण द्वारा दावा अबेट किये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो महज न्यायालय का समय बर्बाद करने या किये जाने की मंशा से किया गया था। अतः अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 3 व 4 धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है जबकि सीपीसी के आदेश 9 के प्रावधान पक्षकारों की न्यायालय में उपस्थिति एवं अनुपस्थित व इस संदर्भ में न्यायालय द्वारा अपनाई जानी वाली प्रकिया की व्याख्या करते है। सदंर्भित प्रकरण प्रतिवादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

15.11.2017 को एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो पूर्व में ही दिनांक 17.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायहित में स्वीकार किया जा चुका था। उक्त तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संदर्भित प्रकरण में विभिन्न प्रार्थना पत्रों की सुनवाई व निस्तारण करते हुए जो आदेश पारित किये है उनमें सीपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन करने के साथ ही गलत रूप से आदेश पारित किये गये है। दिनांक 16.11.2022 की आदेशिका लिखते हुए विरोधाभासी तथ्यों का अंकन किया है जो किसी भी प्रकार से विधिसम्मत, न्यायोचित व स्वीकारयोग्य नहीं माना जा सकता। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न प्रतिवादी अपीलांट का जवाब दिनांक 29.11.2022 से यह भी स्पष्ट होता है कि दिनांक 29.11.2022 को बहस सुनने के समय जवाबदावा पेश किया जा चुका था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड पर भी नहीं लिया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संपूर्ण प्रकिया के दौरान सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत जाकर अनेक त्रुटियां कारित की है। न्यायहित में किसी भी रिकार्डेड खातेदार के खातेदारी अधिकारों की समाप्ति करने से पूर्व उसे पर्याप्त रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अति आवश्यक है। अतः सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत जाकर विधिविरूद्ध निर्णय पारित किये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2022 को अपास्त किया जाना हम उचित समझते हे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2022 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा दिनांक 29.11.2022 को रिकार्ड पर लेते हुए तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रत्येक तनकी का उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर विस्तृत रूप से विवेचन कर पुनः तनकीवार विधिसम्मत् निर्णय पारित करे। साथ ही प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायिक प्रकिया के क्रम में सीपीसी के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जाये। उभपक्षकारान का पाबंन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.12.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/10/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा